संख्या-78/2023/1316/सैंतीस-2-2023/001-1(22)/07टीसी

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-10 जुलाई, 2023

विषयः- **गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-129/पशुधन-2/22/1/4/2023-24, दिनांक-30.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	40.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20.00
29-अनुरक्षण	30.00
39-औषधि तथा रसायन	50.00
42-अन्य व्यय	30.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
योग-	**800.00**

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403001020700 (गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	09 विद्युत देय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)

3	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
6	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
7	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
8	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
9	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
10	015	2403001020700 गायों/भैंसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)**

महायोग	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-78/2023/1316(1)/सैंतीस-2-2023/001-1(22)/07टीसी, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-78/2023/1316/सैंतीस-2-2023/001-1(22)/07टीसी, दिनांक-10 जुलाई, 2023 का संलग्नक-

गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) (2023-24)

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	29-अनुरक्षण	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	0.133	0.000	0.133	0.133	1.997	0.266	0.300	1.023	0.612	7.308	11.905
2	बागपत	0.133	0.000	0.133	0.133	1.498	0.266	0.300	0.768	0.459	6.731	10.421
3	गाजियाबाद	0.133	0.000	0.133	0.133	0.691	0.266	0.300	0.354	0.262	5.568	7.840
4	गौतमबुद्धनगर	0.133	0.000	0.133	0.133	0.634	0.266	0.300	0.325	0.194	3.271	5.389
5	बुलन्दशहर	0.133	0.000	0.133	0.133	2.074	0.266	0.300	1.063	0.635	6.705	11.442
6	हापुड	0.133	0.000	0.133	0.133	0.998	0.266	0.300	0.512	0.306	5.154	7.935
7	सहारनपुर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.594	0.266	0.300	0.817	0.488	6.227	10.091
8	मुजफ्फरनगर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.670	0.266	0.300	0.856	0.512	7.623	11.626
9	शामली	0.133	0.000	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	7.046	10.141
10	मुरादाबाद	0.133	0.000	0.133	0.133	1.459	0.266	0.300	0.748	0.447	6.533	10.152
11	अमरोहा	0.133	0.000	0.133	0.133	1.229	0.266	0.300	0.630	0.376	5.344	8.544
12	रामपुर	0.133	0.000	0.133	0.133	0.864	0.266	0.300	0.443	0.265	5.460	7.997
13	बिजनौर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.286	0.266	0.300	0.659	0.394	6.641	9.945
14	सम्भल	0.133	0.000	0.133	0.133	1.075	0.266	0.300	0.551	0.329	5.551	8.471
15	बरेली	0.133	0.000	0.133	0.133	1.267	0.266	0.300	0.649	0.388	6.542	9.811
16	बदायूं	0.133	0.000	0.133	0.133	1.363	0.266	0.300	0.699	0.417	6.038	9.482
17	शाहजहांपुर	0.133	0.000	0.133	0.133	1.152	0.266	0.300	0.590	0.353	5.947	9.007
18	पीलीभीत	0.133	0.000	0.133	0.133	0.864	0.266	0.300	0.443	0.265	4.460	6.997
19	अयोध्या	0.133	0.000	0.133	0.133	0.845	0.266	0.300	0.433	0.259	4.361	6.863
20	अम्बेडकर नगर	0.133	0.000	0.133	0.133	0.787	0.266	0.300	0.403	0.241	9.064	11.460
21	सुल्तानपुर	0.158	0.000	0.158	0.158	1.517	0.266	0.300	0.777	0.265	6.830	10.429
22	बाराबंकी	0.133	0.000	0.133	0.133	2.131	0.266	0.300	1.092	0.653	12.002	16.843

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	**अमेठी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.574	0.266	0.300	0.807	0.482	6.128	9.956
24	**गोण्डा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.306	0.266	0.300	0.669	0.400	6.740	10.080
25	**बलरामपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.730	0.266	0.300	0.374	0.223	3.767	6.059
26	**बहराइच**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.248	0.266	0.300	0.640	0.382	6.443	9.678
27	**श्रावस्ती**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.307	0.266	0.300	0.157	0.144	6.586	8.159
28	**बस्ती**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.229	0.266	0.300	0.630	0.376	6.344	9.544
29	**संतकबीर नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.710	0.266	0.300	0.364	0.218	3.667	5.924
30	**सिद्धार्थ नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.141
31	**गोरखपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.766	0.266	0.300	1.033	0.617	6.408	10.789
32	**महराजगंज**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.844	0.266	0.300	0.561	0.335	4.650	7.355
33	**देवरिया**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.979	0.266	0.300	0.630	0.376	8.344	11.294
34	**कुशीनगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.979	0.266	0.300	0.630	0.376	6.344	9.294
35	**प्रयागराज**	0.133	0.000	0.133	0.133	2.880	0.266	0.300	1.476	0.582	14.868	20.771
36	**कौशाम्बी**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.749	0.266	0.300	0.384	0.229	6.866	9.193
37	**फतेहपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.670	0.266	0.300	0.856	0.212	5.623	9.326
38	**प्रतापगढ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.939	0.266	0.300	0.994	0.594	7.011	11.503
39	**झांसी**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.787	0.266	0.300	0.403	0.241	4.064	6.460
40	**ललितपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.979	0.266	0.300	0.502	0.300	5.055	7.801
41	**जालौन**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.141
42	**बांदा**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.826	0.266	0.300	0.423	0.813	6.262	9.289
43	**चित्रकूट**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.557	0.266	1.600	0.285	0.821	5.874	9.802
44	**हमीरपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.845	0.266	2.800	0.433	0.809	7.361	12.913
45	**महोबा**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.518	0.266	0.300	0.266	0.159	6.676	8.584
46	**लखनऊ**	0.133	0.000	0.133	0.133	3.733	0.266	0.300	0.768	0.459	9.731	15.656
47	**उन्नाव**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.901	0.266	0.300	0.974	0.582	5.813	10.235
48	**रायबरेली**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.478	0.266	0.300	0.758	0.453	6.632	10.286
49	**हरदोई**	0.133	0.000	0.133	0.133	2.035	0.266	0.300	1.043	0.223	6.507	10.773
50	**सीतापुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.517	0.266	0.300	0.777	0.465	7.830	11.554
51	**खीरी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.421	0.266	0.300	0.728	0.435	9.335	12.884
52	**आजमगढ**	0.133	0.000	0.133	0.133	2.150	0.266	0.300	1.102	0.459	6.101	10.777
53	**मऊ**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.133	0.266	0.300	0.581	0.347	6.848	9.874

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

54	**बलिया**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.958	0.266	0.300	1.004	0.400	6.110	10.437
55	**वाराणसी**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.653	0.266	0.300	0.435	0.200	5.370	7.623
56	**जौनपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.555	0.266	0.300	0.797	0.476	6.029	9.822
57	**गाजीपुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.958	0.266	0.300	1.004	0.600	9.610	14.137
58	**चन्दौली**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.749	0.266	0.300	0.384	0.229	6.866	9.193
59	**मिर्जापुर**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.075	0.266	0.300	0.551	0.329	6.551	9.471
60	**सोनभद्र**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.768	0.266	0.300	0.394	0.235	3.965	6.327
61	**संतरविदास नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.403	0.266	0.300	0.207	0.123	2.082	3.780
62	**कानपुर नगर**	0.133	0.000	0.133	0.133	2.150	0.266	0.300	1.102	0.659	8.101	12.977
63	**कानपुर देहात**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.651	0.266	0.300	0.846	0.506	8.524	12.492
64	**फर्रूखाबाद**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.018	0.266	4.000	0.522	0.312	6.253	12.770
65	**इटावा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.171	0.266	0.300	0.600	0.359	6.046	9.141
66	**कन्नौज**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.672	0.266	0.300	0.444	0.206	7.469	9.756
67	**औरैया**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.787	0.266	0.300	0.403	0.241	7.064	9.460
68	**आगरा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.459	0.266	0.300	0.748	0.447	10.533	14.152
69	**मथुरा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.459	0.266	0.300	0.748	0.447	8.533	12.152
70	**मैनपुरी**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.478	0.266	0.300	0.758	0.453	7.632	11.286
71	**फिरोजाबाद**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.325	0.266	0.300	0.679	0.406	7.800	11.175
72	**कासगंज**	0.133	0.000	0.133	0.133	0.749	0.266	0.300	0.384	0.229	7.846	10.173
73	**एटा**	0.133	0.000	0.133	0.133	1.402	0.266	0.300	0.718	0.429	7.236	10.750
74	**अलीगढ**	0.133	0.000	0.133	0.133	3.398	0.266	0.300	1.742	1.041	8.544	15.690
75	**हाथरस**	0.133	0.000	0.133	0.133	2.864	0.316	0.300	0.647	0.364	5.460	10.350
76	**आहरण-वितरण अधिकारी मुख्यालय**	0.000	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000
योग-		**10.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**20.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**500.000**	**800.000**

(रूपये आठ करोड़ मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।